19.2.19

वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

नम्बर
अहका
तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 22/2018

राजेश कुमार यादव आयु करीब 56 वर्ष पुत्र मंगल सिंह जाति यादव निवासी गौशाला तहसील व जिला धौलपुर।

——— प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार धौलपुर।

——— अप्रार्थी

दप्रार्थना पत्र धारा 131 एलआरए
वास्ते दुरूस्ती नक्शा

उपस्थितिः– 1. श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक – 19.02.19

प्रार्थी की ओर सेव प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 775 रकवा 6 वीघा 3 विश्वा वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है। उक्त खसरा नम्बर 775 ग्राम फिरोजपुर का आवंटन प्रेमनारायण पुत्र शिवनारायण जाति कायस्थ निवासी धौलपुर के पक्ष में हुआ था तथा 6 वीघा 3 विश्वा भूमि पर प्रेमनारायण को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे तथा प्रार्थी ने जरिये विकय पत्र उक्त खसरा नम्बर 775 को प्रेमनारायण से विधिवत कय किया था तथा कब्जा व स्वामित्व प्राप्त किया था। उक्त खसरा नम्बर 775 का नक्शा मुताविक विकय पत्र, जमावन्दी तथा मुताविक ऐलोटमेंट व मुताविक कब्जा नहीं है। नक्शा बन्दोबस्ती में सदभावी त्रुटिवश प्रार्थी का सम्पूर्ण क्षेत्रफल मुताविक स्वत्व एवं कब्जा दर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान नक्शा अपूर्ण तथा कम क्षेत्रफल का है। प्रार्थी वर्तमान नक्शे में मुताविक स्वत्व एवं कब्जा दुरूस्ती कराना चाहता है जिसका प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी को नक्शे में त्रुटि का ज्ञान अर्सा करीब 1 माह पूर्व जरिये पटवारी हल्का नक्शे की नकल लिये जाने पर हुआ। प्रार्थी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 775 ग्राम फिरोजपुर के वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती मुताविक स्वत्व एवं कब्जा किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थी को जवाव के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया अतः अप्रार्थी के जबाव का अवसर बन्द किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वह विवादित भूमि के मौके का नक्शा पेश करना चाहता है जिसमें प्रार्थी का वैद्य कब्जा एवं स्वत्व स्पष्ट रूप से दर्शित है तथा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा भी अंकित है जो लाल रंग से अंकित है। खसरा नम्बर 775 का नक्शा ट्रैस वर्तमान में त्रुटिपूर्ण है जिसका क्षेत्रफल 4 वीघा 2 विश्वा है लेकिन प्रार्थी खातेदारी स्त्रोत के समय से ही मुताविक जमावंदी 6 वीघा 3 विश्वा भूमि पर वैद्य रूप स काबिज है। प्रार्थी क स्वत्व एवं कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 774 में स्थित है जिसको प्रार्थी ने संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्तानुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराकर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 775 ग्राम फिरोजपुर के नक्शा अक्स में जमावंदी के अनुसार रकवा नहीं दर्शाया गया है। उसके कब्जे व स्वत्व वाली भूमि को नक्शे में खसरा नम्बर 774 में मिला दिया गया है। अतः उक्त नक्शे में संशोधन मुताविक प्रस्तावित नक्शा किये जाने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वर्तमान में मौके पर आवादी बसी हुयी है। आवादी के कारण मौक पर पैमाइस नहीं हो पा रही है। पैमाइस नहीं हो पाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खसरा नम्बर 775 में कितना रकवा कम है तथा यदि कम है तो यह रकवा किस नम्बर में बढा हुआ है। शुद्धि किया जाना संभव नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 775 रकवा 6 वीघा 3 विश्वा का रकवा नक्शे में 4 वीघा 2 विश्वा होना बताकर रकवे को खसरा नम्बर 774 में बढा हुआ बताया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश नकल जमावन्दी सम्वत् 2072–75 ग्राम फिरोजपुर के अनुसार यह आराजी प्रार्थी राजेश यादव के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसका रकवा 6 वीघा 3 विश्वा है। प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये नक्शा अक्श व नक्शा बन्दोवस्त के अनुसार इस नम्बर से लगा हुआ नम्बर 774 है जो कि चारागाह है। यह नम्बर वर्तमान में मौके पर खाली पडा हुआ है। अप्रार्थी के द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया है तथा बहस में कथन किया है कि पैमाइस नहीं हो पाने के कारण यह नहीं बताया जा सकता कि कितना रकवा 775 में कम है तथा किस नम्बर में बढा हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी यह स्वीकार करता है कि खसरा नम्बर 775 में रकवा नक्शे में कम है। प्रार्थी के द्वारा मौके पर पैमाइस कराई जाकर प्रस्तावित नक्शा पेश किया है जिसके अनुसार प्रार्थी का रकवा खसरा नम्बर 774 में बढा हुआ है। अप्रार्थी व प्रार्थी के

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (धौलपुर) राज0

अनुसार आस पास के अन्स सभी नम्बरान पर उनके खातेदारान काबिज हैं व मकानात ब
चुके हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन नम्बरों में खसरा नम्बर 775 का रकवा शामि
नहीं हो सकता। खाली पडे खसरा नम्बर 774 में ही प्रार्थी के द्वारा कराई गई पैमाइस व
अनुसार रकवा बढा हुआ पाया गया है। अतः हम उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाक
नक्शा में शुद्धि किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्ब
ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर के नक्शा अक्श में शुद्धि संलग्न नक्शे में लाल रंग
दर्शाये अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। संलग्न नक्शा निर्णय का अंग होगा
पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को पत्र जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखि
दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

नक्शा आराजी ख.न. 774 व ख.न. 775
वाके ग्राम फिरोजपुर तहव जिला धौलपुर

नोट
(i) ख.न. 775 रकबा मुताबिक जमाबन्दी 6 बीघा 3 बिस्वा व मुताबिक राजस्व नक्शा 4 बीघा 2 बिस्वा
ख.न. 774 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा

नोट (i) प्रस्तावित तरमीम हेतु सीमा रंगलाल
(ii) सीमा वादी ख.न. 775 सीमा रंगपीला

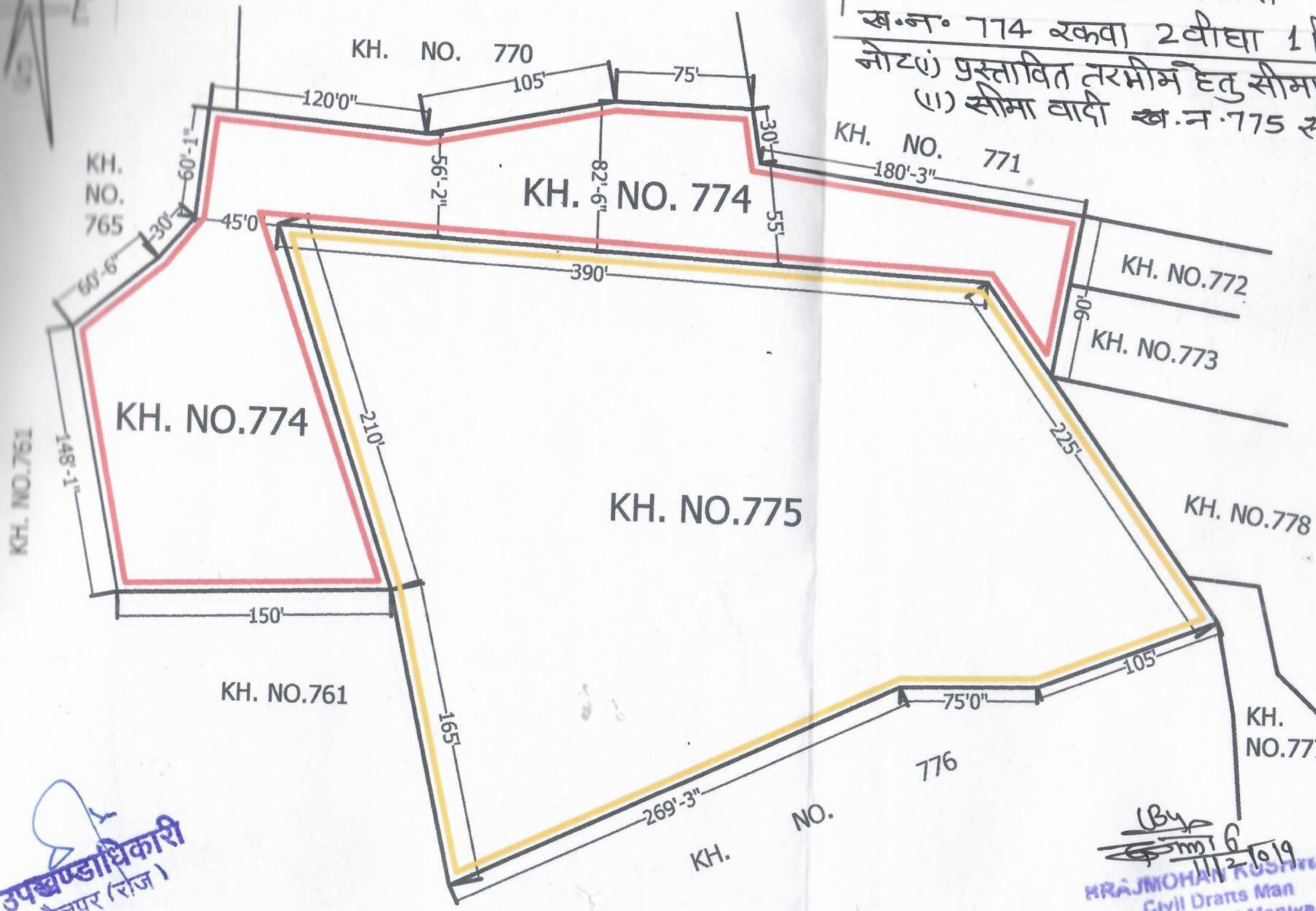

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

6/11/2019

BRAJMOHAN KUSHWAH
Civil Drafts Man
Yanda Road Maniya
Dhelpur (Raj.)